

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14(405 / 37)2020 / एफसीए / प्रमुखसं/

दिनांक

मुख्य वन संरक्षक,
बीकानेर।

विषय:- Diversion of 0.1414 ha. forest land in favour of Bharat Petroleum Ltd. for Construction of Approach Road For Proposed Bharat Petroleum Ltd. Ltd. Retail Outlet on Phalodi-Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 341-342(Chainage:341/434.44-341/469.44) LHS in Part of Khasra No. 885/877 at village Nokha, Tehsil Kolayat Dist. Bikaner, Rajasthan (FP/RJ Road 45056/2020)

सन्दर्भ:- राज्य सरकार का पत्रांक प. 1(60)वन / 2021 दिनांक 13.01.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के पत्रांक प. 1(60)वन / 2021 दिनांक 13.01.2022 (प्रति संलग्न) से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत Diversion of 0.1414 ha. forest land in favour of Bharat Petroleum Ltd. for Construction of Approach Road For Proposed Bharat Petroleum Ltd. Ltd. Retail Outlet on Phalodi-Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 341-342(Chainage:341/434.44-341/469.44) LHS in Part of Khasra No. 885/877 at village Nokha, Tehsil Kolayat Dist. Bikaner, Rajasthan हेतु 0.1414 हैक्टर वनभूमि प्रत्यावर्तन एवं शून्य वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति जारी की गई है। अतः आलौच्य प्रकरण में समस्त शर्तों की पूर्ति की पालना सुनिश्चित करावें इसके उपरांत प्रकरण में संबंधित विभाग / संरक्षा को वनभूमि के उपयोग की अनुमति दें दी जावें।

1. राज्य सरकार के उक्त पत्र में अंकित समस्त शर्तों की कडाई से पालना की जावें।
2. मुख्य वन संरक्षक स्तर पर राज्य सरकार द्वारा अधिरापित शर्तों की पालना का प्रबाधन अरतर किए जावें।
3. मुख्य वन संरक्षक के क्षेत्र से संबंधित समस्त स्वीकृतियों का पृथक से एक रजिस्टर संधारित किया जावें।

संलग्न:- उक्तानुसार।

भवनीय,

३८

(डॉ. गोविंद रामगत भरद्वाज)

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नौडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक १४/१/२२

क्रमांक: एफ. 14(405 / 37)2020 / एफसीए / प्रमुखसं/ 250-54

- प्रतिलिपि:- निम्नांकित को राज्य सरकार के उक्त पत्र की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालयी हाई प्रोप्रेटर है।
1. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, एवोर्फूल लखनऊ-226024 (उ०प्रो)
 2. शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक प. 1(60)वन / 2021 दिनांक 13.01.2022 क्रम में।
 3. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (आई.टी.) अरण्य भवन, जयपुर को राज्य सरकार वन विभाग, जयपुर द्वारा आदेश दिनांक 13.01.2022 (प्रति संलग्न) को राज्य वन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रोत्तेज है।
 4. उप वन संरक्षक, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि मण्डल से संबंधित समस्त प्राप्त स्वीकृतियों के सम्बन्ध में पृथक से एक रजिस्टर में सूचना संधारित की जावें।
 5. उप प्रबंधक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, लिमिटेड, रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर-342005

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर



राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (60) दन/2021

जयपुर, दिनांक: 13 JAN 2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

विषय:— Diversion of 0.1414 ha. forest land in favour of Bharat Petroleum Ltd. for Construction of Approach Road for Proposed Bharat Petroleum Corporation Ltd. Retail Outlet on Phalodi - Bikaner Road (NH-11) Between KM Stone No. 341-342 (Chainage: 341/434.44 - 341/469.44) LHS in Khasra No. 885/877, At Village-Nokhda, Tehsil-Kolayat, District-Bikaner, Raj (FP/RJ/ROAD/45056/2020)

संदर्भ:—आपका पत्रांक एफ 14 (405/37)2020 / एफसीए/प्रमुखस/3691 दिनांक 16.12.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव भारत ऐट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में Chainage: 341/434.44 - 341/469.44 के खसरा नम्बर 885/ 877 के ग्राम नोखडा, कोयलत, जिला बीकानेर में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के प्रवेश एवं निकास हतु 0.1414 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई थी। इस कम में इस कार्यालय के समसंरचना के पत्र दिनांक 0.1414 द्वारा प्रसारित सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुसरण में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम, राजस्थान पत्रांक 14 (405/37)2020 / एफसीए/प्रमुखस/3691 दिनांक 16.12.2021 द्वारा अनुपालना प्रेषित कर विधिवत स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गयी है।

*S
FEP
17/11/22*

प्रेषित अनुपालना पर विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबते जारी दिशा निर्देशों की पालना में Diversion of 0.1414 ha. forest land in favour of Bharat Petroleum Ltd. for Construction of Approach Road for Proposed Bharat Petroleum Corporation Ltd. Retail Outlet on Phalodi - Bikaner Road (NH-11) Between KM Stone No. 341-342 (Chainage: 341/434.44 - 341/469.44) LHS in Khasra No. 885/877, At Village-Nokhda, Tehsil-Kolayat, District-Bikaner, Raj की विधिवत स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं स्थानांतरण के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समर्पण उपाय किये जावें।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगे।

Principal Approval diversion/secy.forest/ajay gover



राजस्थान सरकार

वन विभाग



क्रमांक. प. 1 (60) वन / 2021

जयपुर, दिनांक:- 13 JAN 2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Diversion of 0.1414 ha. forest land in favour of Bharat Petroleum Ltd. for Construction of Approach Road for Proposed Bharat Petroleum Corporation Ltd. Retail Outlet on Phalodi - Bikaner Road (NH-11) Between KM Stone No. 341-342 (Chainage: 341/434.44 - 341/469.44) LHS in Khasra No. 885/877, At Village-Nokhda, Tehsil-Kolayat, District-Bikaner, Raj (FP/RJ/ROAD/45056/2020)

संदर्भ:-आपका पत्रांक एफ 14 (405/37)2020 / एफसीए/प्रमुखस/3691 दिनांक 16.12.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में Chainage: 341/434.44 - 341/469.44 के खसरा नम्बर 885/877 के ग्राम नोखडा, कोयालत, जिला बीकानेर में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के प्रवेश एवं निकास हेतु 0.1414 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई थी। इस क्रम में इस कार्यालय के समरख्यक पत्र दिनांक 0.1414 द्वारा प्रसारित सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुसरण में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम, राजस्थान पत्रांक 14 (405/37)2020 / एफसीए/प्रमुखस/3691 दिनांक 16.12.2021 द्वारा अनुपालना प्रेषित कर विधिवत स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गयी है।

*S
FEP
17/11/22*

प्रेषित अनुपालना पर विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा निर्देशों की पालना में Diversion of 0.1414 ha. forest land in favour of Bharat Petroleum Ltd. for Construction of Approach Road for Proposed Bharat Petroleum Corporation Ltd. Retail Outlet on Phalodi - Bikaner Road (NH-11) Between KM Stone No. 341-342 (Chainage: 341/434.44 - 341/469.44) LHS in Khasra No. 885/877, At Village-Nokhda, Tehsil-Kolayat, District-Bikaner, Raj की विधिवत स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौसन आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समर्त उपाय किये जावेगें।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होगे।

Principal/ Approval diversion/secc,forest/folder ajay goyal